उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

का

135 वां प्रतिवेदन

[यह प्रतिवेदन नगर विकास, सिंचाई, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गृह, उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास, खेलकूद एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभागों के वर्ष 1986 से 2014 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है।]

(दिनांक 24 फरवरी, 2016 को सदन में प्रस्तुत किया गया)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

समिति (सामान्य) अनुभाग-2

विषय-सूची

क्रम-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
1	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2013-2014) के सदस्यों की सूची ...	क
2	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2014-2015) के सदस्यों की सूची ...	ख
3	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2015-2016) के सदस्यों की सूची ...	ग
4	उपस्थापन	ङ-ज
5	प्रतिवेदन	1-81

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2013-2014) के सदस्यों की सूची

क्र0सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
***7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
*13	श्री बावन सिंह	गोण्डा	सदस्य
**14	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
*15	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
16	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

<u>विधान सभा के अधिकारीगण</u>

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री चन्द्र पाल लाल	संयुक्त सचिव
4-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव
5-श्री लल्लू राम विश्वकर्मा	अनु सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2582/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-2714/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा विधान सभा की लोक लेखा समिति के रिक्त पद पर श्री बावन सिंह (पूर्व सदस्य, आश्वासन समिति) को नाम-निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप एक पद रिक्त हो गया।

एवं

** पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-2715/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा श्री मनीष असीजा को आश्वासन समिति के एक रिक्त पद पर सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किया गया।

*** पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-17/वि0स0/पटल/18(प)/2012, दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा श्री दीपक कुमार की मृत्यु की सूचना के फलस्वरूप दिनांक 24 जनवरी, 2014 से एक पद रिक्त हो गया।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2014-2015) के सदस्यों की उपस्थिति

क्र0सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
3	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
7	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
*14	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

<u>विधान सभा के अधिकारीगण</u>

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2222/वि0स0/प0का0/10(प)/2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2438/वि0स0/प0का0/10(प)/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-2016) के सदस्यों की उपस्थित

क्र0 सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
3	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री रामचन्द्र चौधरी	सुल्तानपुर	सदस्य
7	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	संत कबीर नगर	सदस्य
8	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
14	ठा0 दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य
*15	श्री आलमबदी	आजमगढ़	सदस्य

<u>विधान सभा के अधिकारीगण</u>

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव.

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-1962/वि0स0/प0का0/14(प)/2015, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2003/वि0स0/प0का0/10(प)/2015, दिनांक 08 जुलाई, 2015 द्वारा श्री आलमबदी, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

उपस्थापन

उपस्थापन

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 135वां प्रतिवेदन जो नगर विकास, सिंचाई, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गृह, उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास, खेलकूद एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभागों से सम्बन्धित है और जिसे समिति ने अपनी दिनांक .... की बैठक में अंगीकार किया है, प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन 194 आश्वासनों की स्थिति अंकित की गयी है, जो वर्ष 1986 से 2014 तक की अवधि में शासन द्वारा सदन में समय-समय पर दिये गये थे। इन आश्वासनों पर समिति ने दिनांक 14-05-2013 से 06-02-2015 के मध्य अपनी बैठकों में विचार किया तथा शासन द्वारा आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही का विश्लेषण एवं विभागीय सचिवों का साक्ष्य लेने के उपरान्त सन्तोष व्यक्त करते हुये आश्वासनों को पूर्ण माना है अथवा शासन द्वारा की गई कार्यवाही को सन्तोषजनक मानकर उन्हें जारी न रखने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि के उन लम्बित आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिन पर शासन के उत्तर से समिति संतुष्ट नहीं है और उन्हें पूर्ण नहीं माना है।

समिति इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा समिति से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती है।

विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक : 2015

सतीश महाना,
सभापति,
सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति,
उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 135वां प्रतिवेदन वर्ष 1986 से 2014 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है जिन पर समिति ने दिनांक 14-05-2013 से 06-02-2015 के मध्य अपनी विभिन्न बैठकों में विचार किया तथा जिनकी पूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है और जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है। उक्त सूची में उन आश्वासनों का भी उल्लेख किया गया है जिनके संबंध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही से समिति संतुष्ट है और उन पर अग्रेतर कार्यवाही/विचार करना आवश्यक नहीं समझा है।

आश्वासन संख्या	तिथि, प्रश्न संख्या, सदस्य का नाम तथा विषय	आश्वासन	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4
		नगर विकास-8	
724/99	12-3-99 : अतारां0-102 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना- नगर पालिका बिन्दकी के आबादी क्षेत्र के अन्दर से सलाटर हाउस एवं मैला डालने वाले स्थान को हटाने के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि नगर पालिका, बिन्दकी द्वारा ईदगाह मैदान के निकट स्थित पम्प सं0-4 में रिक्त पड़ा भूमि का चयन नवीन स्लाटर हाउस के निर्माण हेतु कर लिया गया है और इसका प्रस्ताव बोर्ड से पास क रा लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-3	
357/2000	26-4-2000 : अतारां0-168 श्री गारेखनाथ पाण्डेय- विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर संतरविदास नगर के वर्ष 98-99 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विश्नाथपुर रोही मार्ग से चौराकला होते हुए पाल बस्ती तक सड़क के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 31-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दोषी श्री डी0एन0 त्रिपाठी की ग्रेच्युटी से रु0 3.88 लाख वसूली के आदेश दे दिये गये हैं। श्री जितेन्द्र प्रसाद को सेंसर इण्ट्री दे दी गई है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		नगर विकास-	
428/2000	28-4-2000 : नियम-56 श्री रघुवर दयाल वर्मा- यमुना नदी के जल का सुद्धीकरण करके पेयजल आपूर्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि आगरा नगर के लिये 144 एम0एल0डी0 का नया वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाया गया है इससे दूषित जल को ट्रीट करके जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में 288 एम0एल0डी0 यमुना से ट्रीट करते हैं बाकी सप्लाई ग्राउण्ड वाटर से होती है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि नये प्रोजक्ट की पूरी रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि इसके बारे में जानकारी हो सके।
		नगर विकास-7	
838/2000	20-10-2000 तारांकित-7 श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री सर्वेश कुमार तथा श्री वसीम अहमद- उन्नाव शहर में सीवेज वाटर से बने तालाबों की जल निकासी हेतु बनायी गई योजना के सम्बन्ध में।	योजना है।	दि0 31-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जल फ्लाई ओवर बन जायेगा तो उसे एलाइनमेन्ट के बाद ही नाला पूरा किया जायेगा ताकि जल निकासी सही तरीके से हो सके। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

नगर विकास (ग्राम्य विकास-4 से)

307/2001 308/01 461/01 462/01 सम्बद्ध	2-5-01 : अतारां0-143 डा0 पूर्णमासी पंकज- जनपद रविदासनगर भदोही के विकास खण्ड ज्ञानपुर में वर्ष 1998-99 में जे0आर0वाई0 अन्तर्गत कलिजरा मार्ग से धेवहिया ठाकुर बस्ती तक मार्ग निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के बावजूद भी मार्ग पूर्ण न होने का कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही हेतु लिखा गया है।	दि0 31-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया रोड बनाने में हुई अनियमितता में दोषी पाये गये श्री राजेश खरे तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक से रु0 6,73,800/- में से रु0 1,80,188/- की वसूली श्री जितेन्द्र प्रकाश से रु0 7,86,100/- में से रु0 2,02,146/- की वसूली, श्री एन0बी0 सिंह की ग्रेच्युटी से वसूली तथा श्री एस0एस0 कौशल जूनियर इंजीनियर से रु0 45,000/- की वसूली की जा चुकी है तथा शेष धनराशि की वसूली की जा रही है इस आश्वासन व जांच सं0-308/01, 461/01 तथा 462/01 एक ही प्रकार का है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

नगर विकास-5

945/2001	18-5-01 : अतारां0-118 श्री श्यामदेव राय चौधरी- छः मजदूरों की पैंतीस फुट गड्ढ़े में दब कर हुई मृत्यु की जांच एवं जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं मृतक आश्रितों को मुआवजे का भुगतान।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि तीनों दोषी अधिकारियों श्री ओ0पी0 अंसारी, तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक को सेंसर इन्ट्री देते हुए दो वार्षिक वेतन वृद्धियां अस्थाई रूप से रोकी गई। श्री एस0के0 गुप्ता परियोजना अभियन्ता को सेंसर इन्ट्री देते हुए 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां अस्थाई रूप से तथा श्री आर0के0 बाजपेई, तत्कालीन सहायक परियोजना अभियन्ता को सेंसर इंट्री देते हुए तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां अस्थाई रूप से रोकी गई। अतः उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		नगर विकास	
1191/2001	25-5-01 नियम-51 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- मेरठ नगर निगम के नालों की सफाई हेतु निगम द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने पर रु0 25 लाख की धनराशि दैवी आपदा राहत कोष से उपलब्ध किये जाने हेतु विचार कर उपलब्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि नालो की सफाई नियमित रूप से हो रही है। गहरे नाले के लिये बड़ी पोक्लेन मशीन किराये पर लगा कर नालों की सफाई का कार्य कराया जाता है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-	
8/2002	22-5-02 नियम-51 की सूचना मेरठ नगर निगम क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर में उपरिजलासय को क्रियाशील करके चालू करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण हो गया है। इसे क्रियाशील करके दि0 15-11-2003 को नगर निगम को हस्तान्तरित भी किया जा चुका है जिसका संचालन एवं रखरखाव मेरठ नगर निगम द्वारा किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

नगर विकास-1

33/2002	9-8-02 : अतारां0-70 श्री कमाल युसूफ मलिक- डुमरियागंज को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	जी हां।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि नगर पंचायत, डुमरियागंज के गठन की अधिसूचना तथा नगर पंचायत के पदों के सृजन का शासनादेश जारी हो चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

नगर विकास-5

110/2002	16-8-02 : अतारां0-11 श्री नरेन्द्र सिंह सिशोदिया- जल निगम मथुरा द्वितीय निर्माण शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री कुशलपाल सिंह पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 24-04-01 पर कार्यवाही।	जांच कराई जा रही है।	दि0 15-10-2014 की बैठक के साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि मुख्य अभियन्ता, जल निगम, आगरा एवं गाजियाबाद से जांच कराई गई है और शिकायतों में कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

नगर विकास-2

112/2002	16-8-02 : अतारां0-21 श्री छोटे लाल यादव- जनपद लखनऊ कल्यानपुर में नाली का निर्माण जल निकासी की समस्याओं से सम्बन्धित अमरनाथ प्रेमकुमार आदि का पत्र दिनांक 24-6-02 पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		नगर विकास-3	
117/2002	16-8-02 : अतारां0-58 श्री समरपाल सिंह- सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद बांदा में छाबी तालाब में कराये गये निर्माण कार्यों में दोषी पाये गये सहायक अभियन्ता श्री आर0 के0 सिंह के विरुद्ध की जा रही जांच की कार्यवाही पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।	जांच की जा रही है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक का कार्य कराये जाने पर रु0 5000/- के अपव्यय की गई धनराशि की वसूली कर ली गई है जिसकी सम्बन्धित लोगों से वसूली कर ली गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-3	
241/2002	23-8-02 : अतारां0-84 श्री समरपाल सिंह व श्री नरेश अग्रवाल- जल संस्थान बांदा में सहायक अभियन्ता द्वारा सगे भांजे से ठेकेदारी कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की जांच के सम्बन्ध में।	जांच कराई जा रही है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जांच में वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है। न्याय विभाग के परामर्श के अनुसार भान्जा परिवार व निकट सम्बन्धी की श्रेणी में नहीं आता है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		नगर विकास-	
316/2002	27-8-02 नियम-51 श्री कौशल किशोर- उ0प्र0 जलनिगम द्वारा अभियन्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड बनने के आधार पर उत्तर प्रदेश में जितनी रिक्तियों को आश्वासन बनने के समय की उनके अगेंस्ट सभी पदों पर वर्ष 2008 तक तैनाती कर दी गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-(माध्यमिक शिक्षा से)	
375/2002	3-9-02 : अतारां0-35 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान- राष्ट्रपिता म्युनिसिपल इण्टर कालेज, शाहाबाद, हरदोई के वर्ष 1994 से सेवानिवृत हुए शिक्षक/कर्मचारी को पेंशन अब तक स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र सीपीएल योजना (कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड योजना) से आच्छादित थे, जिसकी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-3	
431/2002	6-9-02 : अतारां0-11 श्री दुर्गा प्रसाद यादव- लखनऊ जल संस्थान में अ0जा0 के रिक्त पदों का भरा जाना।	विचाराधीन है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि लखनऊ जल संस्थान में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		नगर विकास-5	
442/2002	6-9-02 : अतारां0-141 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव- लिबर्टी कालोनी एवं सर्वोदय नगर, इन्दिरानगर, लखनऊ में पानी सप्लाई हेतु पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में।	लाइन डाल दी जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि निरीक्षण आख्या दि0 15-7-2005 के अनुसार बिछायी गई 5.5 कि0मी0 वितरण प्रणाली चालू है एवं इससे जलापूर्ति की जा रही है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-	
68/2003	17-9-03 : चर्चा श्री परागी लाल अहिरवार- नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर जनपद झांसी द्वारा गरौका चौराहे से तहसील परिसर तक अवैध रूप से माकनों का निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दोषियों के विरुद्ध कर्यवाही की जा चुकी है और वसूली जाने वाली धनराशि की वसूली भी की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-7	
95/2003	5-12-03 : तारां0-13 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- लखनऊ नगर निगम में पत्थर व मुजेक लगवाने सम्बन्धी जांच तथा प्रदेश के महानगरों में ट्रैफिक प्लान बनवाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि नगर निगम के वार्षिक बजट के अन्तर्गत प्राविधानित निर्माण एवं विकास के कार्य प्रत्येक वर्ष नगर निगम द्वारा कराये जाते है। लखनऊ नगर में वर्ष 2006 में तैयार किये गये सिटी डेवलपमेन्ट प्लान का पुनरीक्षण प्रगतिधीन है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2040 के लक्षित यातायात नियोजन, विकास व प्रबन्धन के कार्य प्रस्तावित हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		नगर विकास-7	
97/2003	5-12-03 : अतारां0-18 श्री ओंकार सिंह व श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- ल्खनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित ग्राम इस्माइलगंज में नगर निगम की भूमि खसरा सं0-1135 पर श्रीमती सुन्दरा देवी का अवैध कब्जा हटया जाना।	यथाशीघ्र हटा दिया जायेगा।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि अवैध कब्जा हटा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-5	
99/2003	5-12-2003 : अतारां0-108 श्री आनन्द सेन- फैजाबाद जनपद में नगर पंचायत की बीकापुर व भदरसा में जल निगम द्वारा निर्मित पानी की टंकियों को क्रियाशील कर सम्बन्धित निकायों को हस्तान्तरित किए जाने हेतु दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही।	किया जायेगा।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दोनों टंकियां बन गई हैं। नगर पंचायत को हस्तान्तरित हैं और आपरेशनल हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-5	
290ए/2005	14-5-2005 : अतारां0-78 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- जनपद रायबरेली की नगर पंचायत ऊंचाहार में जल आपूर्ति प्रारम्भ किया जाना।	जलापूर्ति कर दी जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में जलापूर्ति नगर निकाय द्वारा की जा रही है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		नगर विकास-1	
267/2007	5-11-2007 : अतारां0-99 श्री सुल्तान बेग- जनपद हरदोई नगर पंचायत माधोगंज स्थित बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक मार्ग की मरम्मत कराया जाना।	मरम्मत करायी जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि नगर पंचायत माधोगंज द्वारा सड़क निर्माण का कार्य पूरा करा दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-5	
79/2009	3-8-2009 : अतारां0-23 श्री अनुग्रह नारायण सिंह- जनपद इलाहाबाद महानगर में जल निकासी हेतु जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत नालों के निर्माण एवं विस्तार के कार्य को पूर्ण कराया जाना।	विरचित की जा रही है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि चूंकि प्रश्नगत योजना समाप्त हो चुकी है इसलिये इस प्रस्तावित कार्य को उसमें पूरा कराया जाना संभव नहीं है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि इस नाम से पृथक कोई अन्य योजना आयेगी तो इसे टेकअप कर लिया जायेगा।
		नगर विकास-2	
197/2012	2-7-2012 : अतारां0-18 श्री सुरेश कुमार खन्ना- शाहजहांपुर नगर के कतिपय कच्चे एवं जर्जर मार्गों को सी0सी0 स्तर तक बनवाने के सम्बन्ध में।	कार्य कराये जा सकेंगे।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि शाहजहांपुर से सम्बन्धित कार्य करा दिये गये हैं। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि जिन मोहल्लों में आज भी सड़के नहीं बनी हैं उनको प्राथमिकता दें तथा पहले से बनी पक्की सड़कों को बिना परीक्षण कराये न तोड़ा जाय।

		नगर विकास-7	
198/2012	2-7-2012 : अतारां0-28 डा0 रीता बहुगुणा जोशी- जनपद लखनऊ के मवैया रेलवे पुल के नीचे वर्षा के जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने विषयक।	व्यवस्था की जायेगी।	दि0 31-12-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि मवैया अण्डर पास पुल के समीप वर्ष 2013 की वर्षा के पूर्व जल निकासी के लिये पम्पिंग स्टेशन का निर्माण हो जाने से वर्षाकाल में पुल के नीचे किसी प्रकार के जलभराव की स्थिति अब नहीं है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-7	
175/2013	18-03-2013 : अतारां0-165 श्री जय प्रकाश निषाद, स0वि0स0- जिला लखनऊ के थाना कृष्णानगर के गुरुनानक वार्ड, विशेश्वर नगर में पानी की निकासी के सम्बन्ध में।	व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सफाई का कार्य कर दिया गया है और पानी की निकासी हो रही है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		नगर विकास-1	
08/2014	24-02-2014 : अतारां0-03 श्री अनुग्रह नारायण सिंह- नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत के पार्षदों/सदस्यों को भी जिला पंचायत सदस्यों की भांति मानदेय/भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-12-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के सभासदों/पार्षद का भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है और इस भत्ते में पांच गुना की सीधी बढ़ोत्तरी की गई है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		नगर विकास-7	
163/2014	07-07-2014 : अतारां0-02 श्री मनीष असीजा- नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद को नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	दि0 31-12-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद अब नगर निगम बन गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई अनु0-2	
1298/99	14-7-99 : अतारां0-83 श्री धर्मज्ञ मिश्रा, स0वि0स0, निर्वाचन क्षेत्र 91- मल्लावां हरदोई के अन्तर्गत बहने वाली सहिजना ड्रेन की खुदाई एवं सफाई करवाने के सम्बन्ध में।	कार्य किया जायेगा।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सहिजना ड्रेन की खुदाई एवं सफाई का कार्य वर्ष 2001 में करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई अनु0-7	
1459/99	05-01-2000 : अतारां0-22 श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0- श्री मोहन चन्द्र जोशी, वरिष्ठ लिपिक, शारदा नगर खण्ड-2 (लखनऊ) के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री मोहन चन्द्र जोशी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद जांच अधिकारी ने सम्बन्धित मामले में श्री जोशी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि विभाग श्री जोशी के विरुद्ध कार्यवाही करे।

		सिंचाई-4	
1462/99	5-1-2000 : अतारां0-25 श्री गोरखनाथ पाण्डेय- दीप राजवाहा के फिलिंग रीच के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव।	प्रस्ताव है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि राजवाहा के पुनरोद्धार के पश्चात् राजवाहे के टेल तक पानी पहुंच रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-3	
1463/99	5-1-2000 : अतारां0-42 श्री राजेन्द्र यादव- सिंचाई खण्ड जौनपुर की अनेई माइनर हेतु ग्राम सोनपुरवा व बरहा कला तहसील पिण्डारा वाराणसी की अधिग्रहीत जमीन के मुआवजा हेतु धारा का प्रकाशन एवं मुआवजा ब्याज सहित भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि प्रतिकर की अधिकांश धनराशि का वितरण किया जा चुका है तथा जहां विवाद की स्थिति है वहां पर धनराशि रेवेन्यू में डिपाजिट कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-7	
1477/99	5-1-2000 : अतारां0-132 श्री अजय भट्ट एडवोकेट- सिंचाई खण्ड-2 महराजगंज के अधिकारियों, कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के भुगतान सम्बन्ध में।	उपलब्धता पर निर्भर है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि यात्रा भत्ते की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-7	
1478/99	5-1-2000 : अतारां-134 श्री अजय भट्ट एडवोकेट- शासनादेश सं0 ब्युरो 237/ दस-65(आडिट)/95, दिनांक 28-7-99 के अनुपालन में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग लखनऊ के कर्मियों द्वारा आहरित धनराशि की वसूली।	कार्यवाही प्रगति में है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के मामले में कर्मियों से वसूली किये जाने के कारण, कर्मियों द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया। अतएव उच्च न्यायालय ही इस प्रकरण को तय करेगा। दूसरा शासनादेश सं0-3-35/ दस-07-101(6)2005 के अनुसार 34 माह पूर्व यदि किसी ने अधिक वेतन ड्रा किया है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जायेगा। वर्तमान शासनादेश दि0 16 जून, 2007 से प्रभावी है जिसका लाभ इन कर्मियों को मिलेगा। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-8	
1485/99	5-1-2000 : अतारां0-174 श्री अजय भट्ट एडवोकेट- जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में शहरी माइनर एवं हुसैनाबाद माइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही।	प्रकरण कार्यवाही में है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 95 प्रतिशत से अधिक लोगों का भुगतान हो चुका है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि शेष कृषकों का भी शीघ्र भुगतान कराकर उससे समिति को अवगत कराय जाय। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		सिंचाई-10	
58/2009	29-3-2000 : अतारां-150 श्री अजय भट्ट एडवोकेट- रिट याचिका सं0-7731 एस0एस0 आफ 1988 श्रीमती संध्यारानी श्रीवास्तव बनाम उ0 प्र0 सरकार की पैरवी न करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पैरवी न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-5	
488/2000	3-5-2000 : अतारां0-7 श्री धर्मज्ञ मिश्र- जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां अन्तर्गत सहिजनवां ड्रेन की सफाई एवं खुदाई।	प्रस्तावित है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि ड्रेन की सफाई व खुदाई का कार्य दिसम्बर, 2002 तक पूर्ण कराया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-2	
490/2000	3-5-2000 : अतारां0-18 श्री भोला शंकर मौर्य- सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति में आरक्षण कोटा पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।	किया गया है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2000 में अनुसूचित जाति का 18 प्रतिशत था। परन्तु वर्तमान में 74 कार्यरत लोगों के 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति के तथा 01 अनुसूचित जनजाति के कार्मिक कार्यरत हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई अनुभाग-4	
222/2001	01-05-2001 : अतारां0-23 श्री दीपलाल भारती, स0वि0स0- जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत मठिया ब्रान्च की सिल्ट सफाई कराकर सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था कराने की मांग।	वित्तीय वर्ष 2001-02 में कराये जाने का प्रस्ताव है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2004-05 में मठिया ब्रांच की सिल्ट सफाई करा दी गई है और वर्तमान में नहरों में टेल फीड हो रही है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-5	
227/2001	1-5-01 : अतारां0-48 श्री गोरखनाथ पाण्डेय- जनपद सन्तरविदास नगर के ज्ञानपुर के अन्तर्गत चन्दापुर और नागमलपुर कोलापुर नलकूपों के बन्द होने से हो रही क्षति को देखते हुए रि-बोरिंग की कार्यवाही की मांग।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोनों नलकूप लग गये हैं और चालू हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-7	
231/2001	1-5-01 : अतारां0-67 श्री अफजाल अहमद- श्री हरीसिंह राना कार्यालय सहायक अभियन्ता (द्वितीय) खण्ड-2 शारदा नहर लखनऊ के सेवाकाल में मृत्यु के बाद देय समस्त अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री हरीसिंह राना, सहायक अभियन्ता की पत्नी को समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है। अब कोई भी धनराशि दिया जाना शेष नहीं है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		सिंचाई-4	
248/2001	1-5-01 : अतारां0-144 इ0 सत्य प्रकाश सोनकर- जनपद चन्दौली के अन्तर्गत स्थित मूसाखण्ड बांध से निकली राइट कर्मनाशा नहर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये नहर में पक्की लाइनिंग का निर्माण कार्य कराया जाना।	कार्य कराया जायेगा।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नहर के शीघ्र भाग में 0.200 कि0मी0 से 0.800 कि0मी0 तक क्षतिग्रस्त लाइनिंग को दुरुस्त करने का कार्य करा दिया गया है और वर्तमान में नहर का संचालन सुचारु रूप से हो रहा है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-4	
249/2001	1-5-01 : अतारां0-146 इ0 सत्य प्रकाश सोनकर- जनपद चन्दौली अन्तर्गत स्थित मूसाखण्ड एवं चन्द्रप्रभा बांध के क्षतिग्रस्त गेटों की मरम्मत।	कार्यवाही कर ली जायेगी।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मूसाखण्ड के क्षतिग्रस्त गेट के स्थान पर नया गेट लगा दिया गया है और चन्द्रप्रभा बांध में आवश्यक मरम्मत कार्य करा दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-6	
257/2001	1-5-01 : अतारां0-171 श्री उबैदुर्रहमान- जनपद बलरामपुर के उतरौला श्री दत्तगंज गैडास बुजुर्ग में नलकूपों की नालियों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर जांच।	जांच करायी जा रही है।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि टी0ए0सी0 से कराई गई जांच में दोषी पाये अभियन्तागों में श्री के0के0 कालरा को परिनिन्दा प्रविष्टि, श्री पी0के0 चौरसिया को परिनिन्दा प्रविष्टि तथा एक वेतनवृद्धि एक वर्ष रोकने के लिये एवं श्री सुबोध रंजन सक्सेना को परिनिन्दा प्रविष्टि तथा एक वेतनवृद्धि 2 वर्ष अस्थायी रूप से रोकने का दण्ड दिया गया है। इसी प्रकार अवर अभियन्ताओं को भी दण्ड दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-4	
263/2001	1-5-01 : नियम-56 श्री समरपाल सिंह- प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर से डी0सी0एम0 पानी प्रतिवर्ष न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि हरियाणा में हथिनीकुण्ड बैराज में साइन एम0ओ0यू0 के अनुसार पूर्वी यमुना नहर को 1.780 बी0सी0एम0 जल का एलोकेशन हुआ है। नदी में जल की उपलब्धता के अनुसार पिछले वर्षों में नहर को जल मिलता रहा है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-4	
706/2001	15--5-01 अतारां0-12 श्री शिवसिंह चक- जनपद फैजाबाद में विकास खण्ड रूदौली में ग्राम गढ़वन पुरवा से बरावां जाने वाली सड़क पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित टूटी पुलिया का पुनः निर्माण।	प्रस्तावित है।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें बी0आर0बी0 के दोनों पैरापेरों का पुनर्निर्माण 13वें वित्त के अन्तर्गत कराया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-7

707/2001	15-5-01 : अतारां0-16 डा0 सरजीत सिंह डंग- समूह ग के सींचपाल पद हेतु चयनित श्री राम आसरे सरोज पुत्र स्व0 श्री राजपतिराम नि0मु0 व पोस्ट पुतलीघर मिर्जापुर को नियुक्ति न किये जाने की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	निर्णय लिया जायेगा।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में दोषी पाये गये श्री अरुण कुमार सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ दण्ड की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-4

714/2001	15-5-01 : अतारां0-31 श्री राम औतार शाक्य- मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम/33077/ मैनपुरी/2000, दिनांक 19-4-2000 पर कार्यवाही।	व्यवस्था कर दी जायेगी।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोनों पुलों का निर्माण करा दिया गया है तथा दोनों पुल क्रियाशील हैं। अतः उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-9	
727/2001	15-5-01 : अतारां0-69 श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर- जनपद देवरिया अन्तर्गत नयी गण्डक कालोनी के रख-रखाव व पुताई की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि देवरिया स्थित नई गण्डक कालोनी के रख-रखाव/रंगाई, पुताई का कार्य पूर्ण हो गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-7	
743/2001	15-5-01 : अतारां0-125 श्री रमेश राही- वर्ष 1999 में सेवानिवृत्त हुए सींच पर्यवेक्षक के दस प्रतिशत देयों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण संदर्भित किया गया है।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सेवानिवृत्त हुये सींच पर्यवेक्षक के दस प्रतिशत देयों का भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-5	
22/2005	15-02-05 : अतारां0-70 श्री जियाउद्दीन रिजवी- जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रायपुर के लोनी नाले पर बने पुल की मरम्मत का कार्य समय से पूरा न करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही।	निर्देश जारी किये गये हैं।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 3 अभियन्ता सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा 1 अभियन्ता श्री कृष्ण कुमार को परिनिन्दित किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		सिंचाई विभाग	
71/2006	25-8-06 : नियम-51 श्री हुकुम सिंह- जनपद मुजफ्फरनगर स्थित मेरठ करनाल पानीपत खटीमा मार्ग पर निर्मित ध्वस्त पुलों को ठीक कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पुल का निर्माण वर्ष 2006-07 में किया जा चुका है और इस पर यातायात शुरू हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-4	
68/2007	4-7-07 : अतारां0-12 श्री अशोक सिंह चौहान- जनपद मैनपुरी की मलावन रजवाहा की शीघ्र सफाई कराकर चालू कराये जाने की कार्यवाही किया जाना।	लागू किया जाना प्रस्तावित है।	दि0 10-09-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2007-08 में मलावन राजवाह की क्षमता पुर्नस्थापना का कार्य करा दिया गया है और इसमें टेल तक पानी पहुंच रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-4	
143/2010	10-2-2010 : अतारां0-68 श्री सनातन पाण्डेय- जनपद बलिया के चिलकहर के अन्तर्गत शारदा कैनाल की शाखाओं के टेल तक पानी पहुंचाया जाना।	पानी पहुंचाना प्रस्तावित है।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शारदा नहर की इन्दारा तथा नागपुर राजवाहे की टेल तक पानी पहुंचा दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-(यांत्रिक)	
156/2010	10-2-2010 : अतारां0-140 श्री जोखू लाल यादव- जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम मलेथुआ में राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में।	बोरिंग कराया जाना सम्भव होगा।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय नलकूप सं0-393 एच0 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा सम्बन्धित क्षेत्रों की सिंचाई हो रही है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-9	
123/2012	13-6-2012 : अतारां0-93 श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य- अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-3 अमरोहा द्वारा दो-दो आवासों पर कब्जा तथा अनियमित रूप से एच0आर0ए0 के लिये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की गयी।	दि0 29-5-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी अधिशासी अभियन्ता की जांच हो गई है तथा रिकवरी के आदेश हो गये हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		ऊर्जा-1	
498/99	26-2-99 : अतारां0-184 श्री हरदेव सिंह एवं श्री नरेन्द्र सिंह शिसौदिया- प्राइस एक्स कलेक्शन के भुगतान के प्रकरण पर जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आरोप सं0-1 में कुल चार आरोपियों में एक को दोषमुक्त किया गया। 2 को दण्डित किया गया एवं 1 के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण कार्यवाही सम्भव न होने से प्रकरण समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। आरोप सं0-2 में कुल 3 आरोपितों में से 02 को दण्डित किया गया एवं 1 के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण कार्यवाही सम्भव न होने के कारण प्रकरण समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-2	
118/2000 201/2000 844/2000 854/2000 857/2000	31-3-2000 : अतारां0-122 श्री हरदेव सिंह- 7-4-2000 : अतारां0-56 श्री हरदेव सिंह- 20-10-2000 : अतारां0-13 श्री जय प्रकाश, श्री नरेन्द्र सिंह शिसौदिया, श्री कोविद कुमार- 20-10-2000 : अतारां0-57 श्री हरदेव सिंह- 20-10-2000 : अतारां0-67 श्री विद्यासागर गुप्त- उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के सचिव द्वारा किये गये स्थानान्तरण में बरती गई धांधली की जांच।	जांच की जा रही है।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी मामलों में जांच कराके कार्यवाही की जा चुकी है। अतः विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा	
614/2000	9-5-2000 : वक्तव्य श्री रमेश राही- श्री देवनाथ राम टी0जी0 ग्रेड-2 के विरुद्ध की गई सतर्कता जांच आख्या पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	कर लिया जायेगा।	दि0 30-9-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री देवनाथ राम के दोषी पाये जाने के कारण उनको दण्ड स्वरूप उनकी वर्तमान पेंशन से 01 प्रतिशत की कटौती के आदेश निर्गत किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-2	
692/2000	21-5-2000 : अतारां0-30 श्री हरदेव सिंह- विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता सिविल वितरण एवं अधिशासी अभियन्ता सिविल वितरण इलाहाबाद द्वारा रु0 30,000 की पहुंचाई गई क्षति एवं भरपाई की जांच की कार्यवाही।	जांच कराई जा रही है।	दि0 30-7-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बिन्दु सं0-1 से 5 तक कार्रवाई की जा चुकी है। छठा बिन्दु उत्तरांचल राज्य से सम्बन्धित है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन ड्राप किया कि यह प्रकरण उत्तरांचल राज्य के सम्बन्धित निगम को सन्दर्भित कर दिया जाय तथा वहां का ऊर्जा विभाग इसका परीक्षण करके उचित कार्रवाई करे।

		ऊर्जा-2	
863/2000	20-10-2000 : अतारां0-78 श्री जय प्रकाश- उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में हुए अरबों के घोटाले के सम्बन्ध में विभागीय जांच कार्यवाही।	निर्देशानुसार किया जायेगा।	दि0 30-7-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-2	
868/2000	20-10-2000 : अतारां0-97 श्री जय प्रकाश- प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-6-2000 पर जांच एवं कार्यवाही।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इलाहाबाद प्रकरण की जांच में किसी भी अनियमितता एवं नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, पाया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-2	
886/2000	20-10-2000 : अतारां0-176 श्री हरदेव सिंह- चेकई प्लेट घोटाला तथा फर्जी टायर पेटिंग के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कुल आरोपित 28 में से 13 को दोषमुक्त, 10 को दण्डित किया गया। 5 के मामले में राज्य सर्तकता समिति की दि0 16-11-13 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार 5 कार्मिकों को दोषमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध प्रचलित प्रकरण को कारपोरेशन स्तर पर समाप्त कर दिया गया। विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-3	
386/2001	4-5-01 : तारां0-14 श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर- खरीदे जाने वाले 96 नग 11 के0वी0 रिंग मेन से प्रोटेक्शन सिस्टम प्रभावी होने ब्रेकडाउन में कमी आने के सम्बन्ध में।	लाइन जोड़ी जायेगी।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक ने अवगत कराया कि रिंग मेन यूनिटों की स्थापना फीडर प्रणाली के संचालन हेतु उपयोगी है। सभी बड़े शहरों में यह लगेगा जो शेष हैं वहां भी लगेंगे। समिति उक्त से संतुष्ट हो आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-2	
390/2001	4-5-01 : अतारां0-12 श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया- श्री राम दौर सिंह संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ के पत्र दिनांक 12-1-2000 पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराये जाने श्री नन्दलाल जायसवाल के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी पाये गये 3 अधिकारी/कर्मचारी में से 2 को दण्डित किया गया है तथा एक रिटायर हो गये हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		ऊर्जा-2	
396/2001	4-5-01 : अतारां0-25 श्री अक्षयवर लाल- सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा की प्रतीक्षित जांच आख्या पर कार्यवाही।	प्रतीक्षित है।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री निर्मल खलासी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति बाउचरों के विरुद्ध कुल देय रु0 6534.75 का भुगतान दिनांक 17-10-2000 को कर दिया गया है। अतएव समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-2	
409/2001	4-5-01 : अतारां0-79 श्री जय प्रकाश एवं श्री हरदेव सिंह- दरियापुर हाइडिल कालोनी सुल्तानपुर के आवासों के मेन्टीनेन्स कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	निर्देशित कर दिया गया है।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आवासों के अनुरक्षण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा अनु0-1	
410/2001	दि0 4-5-2001 : अतारां0-81 श्री जगदीश नारायण राय स0वि0स0- सरैंया फीडर के विद्युत तारों के सुधार के सम्बन्ध में कार्यवाही।	विचार किया जायेगा।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जर्जर तार, लकड़ी का क्रास आर्म, डिस्क इन्सूलेटर एवं पिन इन्सूलेटर को दि0 20-5-2007 को बदल दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा अनुभाग-3	
412/2001	दि0 4-5-2001 : अतारां0-87 श्री धर्मज्ञ मिश्रा, स0वि0स0- जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के रुकनापुर में विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा कराने के सम्बन्ध में।	शीघ्र पूरा करा दिया जायेगा।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 14-7-2001 को पूर्ण करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा अनुभाग-3	
414/2001	दि0 4-5-2001 : अतारां0-90 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना स0वि0स0- सब-स्टेशन सहजनवां (गोरखपुर) के ग्राम बिहारीखुर्द में लकड़ी के जीर्ण खम्भों को बदलने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सब-स्टेशन सहजनवां गोरखपुर के ग्राम बिहारी खुर्द में लकड़ी के जीर्ण 16 नं0 खम्भों को दि0 17-1-2002 को बदलकर पी0पी0सी0 पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-3	
416/2001	4-5-2001 : अतारां0-94 श्री आर0 के0 सिंह- जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 99-2000 में बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलान्स से विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि से गांवों का विद्युतीकरण।	पूर्ण करा दिये जायेंगे।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलान्स) से विद्युतीकरण हेतु चयनित सूची के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण 2001 में पूर्ण करा दिया गया। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-2

419/2001	4-5-2001 : अतारां0-98 श्री जय प्रकाश एवं श्री हरदेव सिंह- थाना अनपरा जनपद सोनभद्र में पंजीकृत अभियोग अपराध सं0-301/96 पर विवेचना की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, लखनऊ के द्वारा दि0 1-7-2001 को उपलब्ध कराई गई जांच आख्या में किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-2

420/2001	4-5-2001 : अतारां0-99 श्री जय प्रकाश एवं श्री हरदेव सिंह- अधीक्षण अभियन्ता विद्युत प्रेषण मण्डल सुल्तानपुर द्वारा उनके वाराणसी में तैनाती के कार्यकाल में हुए 185 लाख के घोटाले की जांच के सम्बन्ध में।	गतिमान है।	दि0 8-2-2007 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अपनी व्याख्यात्मक टिप्पणी में वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर दिया था। विभागीय कार्यवाही से सन्तुष्ट होते हुए पूरे प्रकरण को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को समाप्त किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-3	
596/2001	11-5-01 : अतारां0-75 श्री उदयराज यादव- बाबू बैजनाथ कुरील की स्मृति में उनके पैत्रिक गांव लल्ला खेड़ा रायबरेली में विद्युत पहुंचाने सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन।	प्रस्तावित है।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बाबू बैजनाथ कुरील की स्मृति में उनके पैतृक गांव लल्लाखेड़ा को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में ही ग्राम डोडीपुर से लाइन बनाकर 25 के0वी0 का परिवर्तक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति कर दी गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-3	
895/2001	18-5-01 : तारां0-3 श्री राम ललित चौधरी- सिंगल प्वाइंट पर 24 घण्टे बिजली देने की योजना को गांव तक पहुंचाने एवं पूरे गांव के बिजली बिल को एकत्रित कर ठेकेदार द्वारा जमा किये जाने के सम्बन्ध में।	तैयार है।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। समिति ने निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्रयास करें।

ऊर्जा-3

956/2001	18-5-01 : अतारां0-162 श्री अकबर हुसैन- प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराकर के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री राम सिंह व श्री ओ0जी0 शर्मा अधिशासी अभियन्ता की सेवानिवृत्त के दृष्टिगत लम्बित प्रकरण को समाप्त कर दिया गया, श्री एस0के0 गोयल, अधि0 अभि0 को निन्दा प्रविष्टि दी गई। श्री ओ0पी0 अग्रवाल अधि0 अभि0 व श्री ए0 के0 गुप्ता, अधि0 अभियन्ता का दोषमुक्त पाया गया। श्री वाई0एन0 शर्मा, अधि0 अभि0 को दि0 31-07-2001 को अनिवार्य सेवानिवृत्त के कारण प्रकरण समाप्त कर दिया गया। श्री कमल मोहन अधि0 अभियन्ता को दोषमुक्त पाया गया। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-

1121/2001	25-5-01 : नियम-51 श्री इकबाल महमूद- मध्य शहरी फीडरों से आपूर्ति निजी नलकूपों पम्पिंग सेट की विद्युत दरों पुनरीक्षण का प्रस्ताव के अन्तर्गत जून, 99 से घटी दरों के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	किया जायेगा।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि तत्कालीन निदेशक (वा0) द्वारा अन्तरिम व्यवस्था के तहत पत्र दि0 21-5-2001 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि शहरी फीडर से आपूर्तित निजी नलकूपों जो उपभोक्ता निर्धारित दरों पर भुगतान करने में सहमति देकर अपना भुगतान कर दे उनके विद्युत संयोजन विच्छेदित न किये जायें। इनका चार्ज रु0 2.10 प्रति यूनिट तथा मिनिमम चार्ज रु0 65/बीएचपी/माह लिया जाय। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-	
1147/2001	24-5-01 : नियम-51 श्री दद्दू प्रसाद- विधायक निधि से धन प्राप्त होने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही।	किया जायेगा।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दो ग्रामों में विद्युतीकरण की कार्यवाही दिनांक 30-6-2001 तक किया जा चुका है। वर्तमान में सभी ग्राम ऊर्जीकृत हैं। प्रमुख सचिव के सूचना से समिति संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण मान लिया।
		ऊर्जा-1	
1439/2001	01-6-01 : अतारां0-10 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- संदर्भगत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु तकनीकी परीक्षणोपरान्त 30-6-01 तक कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रयास किया जा रहा है।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्रा0 मानापुर ब्लाक आसपुर, देवसरा, पो0 व ब्लाक मंगरौरा तथा बिरौती ब्लाक पट्टी में परीक्षणोपरान्त उक्त स्थान पर नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता पाई नहीं गई। वर्तमान में उक्त ग्रामों की विद्युत आपूर्ति क्रमशः 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र आसपुर, देवसरा, चिलबिला एवं दरीपुर बरढयता से सुचारु रूप हो रही है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-1

247/2002	23-8-02 : अतारां0-111 कुंवर रेवती रमण सिंह- पावर कारपोरेशन में इन्जीनियर, जूनियर इन्जीनियर एवं प्लाटून मैन के रिक्त पदों का भरा जाना।	जी हां।	दि0 30-7-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां/पदोन्नतियां की जा चुकी हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-2

323/2004	4-8-04 : अतारां0-8 श्रीमती कृष्णा पासवान- अनियमितताएं करने के आरोप में महाप्रबन्धक (लखनऊ क्षेत्र) के अधीनस्थ कतिपय वितरण खण्डों के माह मई-जून एवं जुलाई, 03 में निलम्बित अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही।	परीक्षणाधीन है।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच अधिकारी, श्री एस0पी0 सिंह द्वारा दि0 20-4-2004 को उपलब्ध कराई गई। जांच आख्या के सावधानीपूर्वक परीक्षण के उपरान्त श्री राशिद अबरार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव पर लगाये गये आरोप सिद्ध न पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध लम्बित प्रकरण को पावर कारपोरेशन के आदेश दि0 29-1-2005 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-1	
78/2005	18-2-05 : अतारां0-53 श्री सुरेश कुमार खन्ना- शाहजहांपुर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत पावर फाइनेन्स कार्यों से प्राप्त धन से विभिन्न कार्यों को पूर्ण कराया जाना।	कार्य प्रस्तावित है।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद शाहजहांपुर 33 के0वी0 उपकेन्द्र निगोही रोड से ककरा के मध्य बनने वाली रेलवे क्रासिंग पर केबिल डालकर लाइन का माह सितम्बर, 2013 में ऊर्जीकरण कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा विभाग	
150/2007	11-7-07 : नियम-56 श्री मदन चौहान- जनपद गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत विभाग की लापरवाही से लटके तारों के कारण कतिपय ग्रामीणों की मृत्यु पर मुआवजा एवं कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री महीपाल को रु0 50,000/- का भुगतान कर दिया गया है। दूसरे प्रकरण में देय नहीं पाया गया है। तीसरे प्रकरण में तीनों बच्चे का प्रथम उपचार करा दिया गया। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-1

333/2012	5-12-2012 : तारां0-2 श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मित्रसेन यादव, श्री प्रदीप चौधरी, श्री उपेन्द्र तिवारी एवं श्री जय प्रकाश निषाद- प्रदेश में विद्युत उत्पादन (आपूर्ति) मांग के अनुरूप न होने के कारण विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु सरकार की प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में।	कराया जा रहा है।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि ग्राम दिउरिया, ब्लाक भावलखेड़ा, जनपद शाहजहांपुर मार्च, 2013 तक केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसे संयोजन से अवमुक्त कर दिया गया है। समिति ने ऊर्चीकृत करने का कोटा बढ़ाने पर तथा लम्बित कनेक्शन को शीघ्र जारी करने की अपेक्षा की है इस कार्य को पारदर्शी स्वरूप से कराया जाय इन्हीं निदेशों के साथ समिति द्वारा आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-1

01/2013	20-2-2013 : तारां0-2 श्री सतीश महाना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (डेरी वाले) एवं श्री पूरन प्रकाश- प्रदेश में बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु तात्कालिक योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।	किया जाना प्रस्तावित है।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विद्युत प्रबन्ध के उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर इनर्जी एक्सचेन्जों से दैनिक बिड करते हुए डेअहेड विद्युत क्रय धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-1	
140/2013	13-3-2013 : अतारां0-20 श्री सुरेश कुमार खन्ना- प्रदेश में निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत तथा शाहजहांपुर के निजी नलकूपों के काश्तकारों को ऊर्जीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्गत किये जायेंगे।	दि0 30-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि किसानों को निजी नलकूपों का कनेक्शन आसानी से मिले के लिये प्रयासरत हैं। 31 मार्च, 2015 तक जो पेडेंसी हैं उसको शून्य करायेंगे की कोशिश की जायेगी। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-3	
159/2013	13-3-2013 : अतारां0-167 श्री मुकेश श्रीवास्तव- जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के प्रमुख बाजारों में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में।	कराया जाना सम्भावित है।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद बहराइच के पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में जर्जर तार के स्थान पर 4.00 किलोमीटर ए0बी0 केबिल बदलने का कार्य योजना बिजनेस प्लान वर्ष 2012-13 में सम्मिलित थी, जिसे माह 09/2014 में पूरा कर लिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ

237/2013	18-9-2013 : अतारां0-16 श्री मनीष असीजा- सरकार बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण करने अथवा निजी क्षेत्र में फ्रेन्चाइजी के माध्यम से विद्युत वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-7-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पी0पी0पी0 प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के माध्यम से उक्त शहरों में वितरण के सम्बन्ध में फिजीबिलिटी स्टडी प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-3

134/2014	2-7-2014 : तारां0-01 श्री सतीश महाना- प्रदेश में बिजली चोरी रोके जाने के सम्बन्ध में।	वापस लेना उचित नहीं होगा।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विभिन्न स्त्रोतों से ऊर्जा क्रय कर विद्युत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु रु0 5.87 यूनिट का खर्चा है जो वर्ष 2012-2013 में आयोग द्वारा अनुमोदित है। टैरिफ वृद्धि के उपरान्त भी विद्युत क्रय पर विभाग को रु0 1.36/ यूनिट का राजस्व घाटा है। अतः टैरिफ वृद्धि को वापस लेना उचित नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-1	
146/2014	2-7-2014 : अतारां0-85 श्री सुरेश कुमार खन्ना- शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत कपेड़ कटका (ब्लाक ददरौल) का मजरा यादव गौटिया में विद्युतीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	कराया जायेगा।	दि0 30-12-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल में मजरा यादव गौटिया में विद्युतीकरण का कार्य किसी योजना के चयनित न होने के कारण नहीं किया जा सका। भविष्य में किसी योजना में चयनित होने एवं धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा अनुभाग-4	
334/97 422/97 18/98 22/98 802/01 सम्बद्ध	दि0 6-8-97 : अतारां0-110 श्री बाबू राम, स0वि0स0- मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय गाजियाबाद में व्याप्त अनियमितता की जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि डा0 धवन को कठोर चेतावनी दी गई है। डा0 विनोद कुमार एवं डा0 वी0के0 शर्मा की सेवानिवृत्त के 4 वर्ष पूर्ण होने के कारण विभागीय कार्यवाही सम्भव नहीं है डा0 राम बाबू के आरोप के सम्बन्ध में यह सूचित किया कि इन्हें बिना विज्ञापन दिये को-आपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से स्टेशनरी खरीदने का अधिकार प्राप्त था। श्री भजन लाल एवं मो0 अनीस के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		चिकित्सा विभाग-10	
631/99	10-3-99 : अतारां0-3 श्री दुर्गा प्रसाद यादव- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवानी बलिया के निर्माण कार्य में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है तथा कार्य भी पूर्ण हो गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-7	
636/99	10-3-99 : अतारां0-23 श्री दुर्गा प्रसाद यादव- डफरिन अस्पताल गोलागंज, लखनऊ के कनिष्ठ लिपिक श्री आर0 के0 मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही।	प्रक्रियाधीन है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री आर0 के0 मिश्रा को महानिदेशालय के आदेश दि0 8-8-2014 द्वारा निलम्बित किया गया। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-7	
869/99	17-3-99 : तारां0-19 श्री जगदम्बिका पाल- फार्मेसिस्ट की भाति एक्स-रे टेक्नीशियान को सेवाकाल में दो पदोन्नति दिये जाने पर विचार।	विचार किया जायेगा।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कर्मचारियों के वेतनमान के उच्चीकरण का लाभ व राहत प्रदान की गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चिकित्सा विभाग-7	
872/99	17-3-99 : अतारां0-7 श्री राम नक्षेत्र- जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर के दो लैब टेक्नीशियन द्वारा निर्धारित वेतनमान से अधिक वेतन लेने की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोनों लैब टेक्नीशियन को अधिक भुगतान किये गये धनराशि की वसूली मा0 न्यायालय का स्टे होने के कारण रिकवरी नहीं हो पा रही है। दोनों कर्मचारियों को वर्तमान में पुराने वेतनमान से वेतन दिया जा रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-11	
885/99	17-3-99 : अतारां0-37 श्री अजय कुमार पोइया- कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय मथुरा द्वारा अमानवीय कृत्य किये जाने की जांच।	निर्णय लिया जायेगा।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका मथुरा का वहां से स्थानान्तरण हो गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-4	
915/99	17-3-99 : अतारां0-153 श्री मुरलीधर- फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की बेकार पड़ी गाड़ियों की नीलामी।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि निष्प्रयोज्य पड़ी गाड़ियों की नीलामी हो गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		चिकित्सा विभाग-1	
1163/99	24-3-99 : अतारां0-26 श्री राम ललित चौधरी- बस्ती चिकित्सालय में ओपेक द्वारा शैया के निर्माण एवं दवाइयों के उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	विस्तार किया जायेगा।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अवशेष 200 शैय्याओं का निर्माण कार्य पूर्ण होकर हस्तगत हो गया है और चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार औषधियां उपलब्ध हैं। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-1	
1168/99	24-3-99 : अतारां0-48 श्री नवाब सिंह नागर- नवसृजित जिलों में सी0एम0ओ0 की नियुक्ति।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नवसृजित 11 जिलों में मुख्य चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-10	
1183/99	24-3-99 : अतारां0-114 श्री दुर्गा प्रसाद यादव- मऊ/आजमगढ़ में 16 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकाओं का स्थानान्तरण।	विचार किया जायेगा।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि स्वास्थ्य निरीक्षकाओं के स्थानान्तरण की कार्यवाही कर ली गई है और वर्तमान में शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चिकित्सा विभाग-4	
1188/99	24-3-99 : अतारां0-137 श्री अजय कुमार पोइया- चिकित्सा विभाग के स्टोर कीपर का वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में।	विचार किया जायेगा।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि स्टोर कीपर कम क्लर्क वेतनमान रु0 3050-4590 की प्रोन्नति स्टीवर्ड के पद पर वेतनमान रु0 4000-6000 में कर दी गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-3	
1299/99	14-7-99 : अतारां0-87 श्री रमेश राही- जिला चिकित्सालय सीतापुर में दिनांक 26-5-98 को मरीज सतीश कुमार अवस्थी की हुई मृत्यु में दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोनों डाक्टर्स की लापरवाही के कारण मरीज की मृत्यु हुई थी। इसके लिये उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-5	
1308/99	14-7-99 : अतारां0-127 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- शाहजहांपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-4-98 में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच।	जांच करायी जा रही है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिन डाक्टरों के खिलाफ शिकायत की वे वर्तमान में शाहजहांपुर में नहीं है और जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा विभाग-7

1448/99	5-1-2000 : तारां0-7 श्री श्यामदेव राय चौधरी- क्षय रोगियों को कम अवधि में रोग मुक्त किये जाने हेतु प्रदेश के जनपदों में विश्व बैंक की सहायता से परियोजनाओं को लागू करने क्षय रोग की दवाओं पर से सभी प्रकार के टैक्स हटाने तथा इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि क्षय रोग की दवाइयों पर टैक्स हटाने के सम्बन्ध में कर एवं निबन्धन विभाग ने सहमति नहीं प्रदान की। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा विभाग-9

1451/99	5-1-2000 : तारां0-10 श्री अजय कुमार पोइया- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुमन्य वैयक्तिक वेतन पंचम वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन का पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुमन्य दि0 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षित कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चिकित्सा विभाग-7	
1455/99	5-1-99 : अतारां0-15 श्री बाबूराम यादव एवं श्री नन्दराम- राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन उ0 प्र0 के मांग-पत्र पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही कर ली गई है। उसमें जो कार्यवाही है वह करा दी जायेगी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-1	
50/2000	29-3-2000 : अतारां0-96 श्री राम ललित चौधरी- विश्व संगठन ओपेक द्वारा जनपद बस्ती में 500 शैय्याओं के लिये स्वीकृत शेष 200 शैय्याओं हेतु भवन एवं स्टाफ तथा दवाइयों की व्यवस्था।	व्यवस्था की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 200 शैय्याओं के विस्तार हेतु अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा ओ0पी0डी0 एवं इन्ट्रेन्स ब्लाक को छोड़कर अवशेष अनावासीय भवन विभाग को स्थानान्तरित हो चुके हैं। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		चिकित्सा विभाग-4	
52/2000	29-3-2000 : अतारां0-103 श्री अजय कुमार पोइया- मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई के कार्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं एवं फर्जी नियुक्तियों की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	आदेश दे दिये गये हैं।	दि0 13-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि तत्कालीन अपर निदेशक को श्री प्रेम बहादुर दलेला, वरिष्ठ लिपिक की उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, कर्मचारी आचरण संहिता का उल्लंघन करने तथा उच्चाधिकारियों की छवि धूमिल करने के प्रयास में इनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई थी तथा स्थानान्तरण भी किया गया। बीच में निलम्बित रहे तथा अब यह रिटायर भी हो गये हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-4	
349/2000	26-4-2000 : अतारां0-89 श्री अजय कुमार पोइया- वित्त विभाग के अ0शा0प0 सं0-वे0आ0-1-1311/दस/101 (एम)/89 दिनांक 16-7-93 के संलग्न-11 के प्रस्तर-5 एवं 6 के अनुपालन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मुख्यालय से लेकर जनपद स्तर तक के आशुलिपिकों को स्वीकृत संवर्ग गठित किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पहले जिला स्तरीय आशुलिपिकों ने इस तरह की मांग की थी कि पूरा एक संवर्ग बना दिया जाय। बाद में उन्होंने अपनी मांग को वापस ले लिया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चिकित्सा विभाग-11	
634/2000	10-5-2000 : अतारां0-78 श्री बनारसी दास चांदना- सिद्धार्थनगर के बंवा संयुक्त चिकित्सालय के डा0 विनोद मिश्र एवं डा0 शीला मिश्रा के विरुद्ध की गई जांच में प्राइवेट प्रैक्टिस हेतु दोषी पाये गये दम्पत्ति चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि डा0 विनोद मिश्र तथा डा0 शीला मिश्रा की दो वेतनवृद्धियां स्थायी रूप से रोके जाने तथा भर्त्सना प्रविष्टि प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-6	
638/2000	10-5-2000 : अतारां0-141 श्री अरुण प्रताप सिंह- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितवापुर एवं बाबूगंज मारानपुर के भवन निर्माण के अवशेष कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।	पूर्ण करा लिया जायेगा।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोनों जगह पर अवशेष कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य फंक्शनल भी हैं। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		चिकित्सा विभाग-9	
792/2000	17-5-2000 : अतारां0-11 श्री समरपाल सिंह- परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ में शासनादेश सं0-अ-1-1820/दस-34(एम)/83 दिनांक 11-8-93 अनुसार लेखा संवर्ग का गठन एवं लेखा संवर्ग का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	परीक्षण कराया जा रहा है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि परिवार कल्याण महानिदेशालय के जो कर्मचारी थे उनको पदनाम व वेतनमान सब स्वीकृत किया जा चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-10	
127/2001	25-4-01 : अतारां0-29 श्री अब्दुल मन्नान- स्व0 फ्रन्दन दाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंहदर जनपद हरदोई के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम स्वरूप की मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति।	परीक्षण किया जा रहा है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि रामस्वरूप के आश्रित पुत्र श्री राजू को मृतक आश्रित के रूप में स्वीपर के पद पर दि0 13-4-12 को सेवायोजित किया गया। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चिकित्सा विभाग-4	
166/2001	25-4-01 : अतारां0-175 श्री नेतराम सिंह एवं श्री रामेश्वर सिंह यादव- जनपद एटा के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम) को चतुथ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी आपूर्ति हेतु आवंटित धन के भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि चिकित्साधिकारी, एटा से प्राप्त सूचनानुसार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2000-2001 में शासन द्वारा आवंटित धन उन्हीं मदों में व्यय की गई तथा उप चिकित्साधिकारी (प्रथम), एटा के कार्यालय से सम्बन्धित वर्दी के बिलों की धनराशि रु0 4,621/ का भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-4	
281/2001	2-5-01 अतारां0-23 श्री राम औतार शाक्य- मैनपुरी में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप विस्थापित परिवार के सदस्यों को सेवायोजित कराने की मांग।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री मोहित चतुर्वेदी पुत्र श्री नरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी निवासी मैनपुरी की भूमि अध्यापित के कारण विस्थापित परिवार के सदस्य के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर उनकी नियुक्ति कर ली गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा विभाग-1

310/2001	2-5-2001 : अतारां0-152 श्री समरपाल सिंह- जिला चिकित्सालय मऊ में शव-विच्छेदन कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्य प्रारम्भ किया जायेगा	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद मऊ के शव विच्छेदन का कार्य दि0 23-10-2002 से प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में शव-विच्छेदन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा विभाग-11

479/2001	9-5-01 : अतारां0-79 श्री राम विशुन आजाद- जिला महिला चिकित्सालय गोण्डा में दस वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत चिकित्सकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही।	किया जायेगा।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एक डाक्टर श्रीमती वीना सक्सेना 10 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत थी, का ट्रांसफर कर दिया गया है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा विभाग-1

320/2004	4-8-04 : तारां0-1 श्री श्यामदेव राय चौधरी- पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में कान्ट्रेक्ट बेस पर डाक्टरों की तैनाती।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में लगभग 2500 डाक्टरों के नियमित चयन की सूची लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो गई है। इनकी नियुक्ति और तैनाती की जानकारी शीघ्र कर दी जायेगी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चिकित्सा	
357/2004	5-8-04 : नियम-49 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- प्रदेश में चल रहे निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों से लिया जाने वाला शुल्क राजकीय चिकित्सालयों के अनुरूप निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किये गये द क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 के अनुसार मरीजों से लिये जाने वाले शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा-1	
145/2006	22-11-06 : अतारां0-49 श्री चन्द्र किशोर- जनपद महराजगंज में पोस्टमार्टम हाउस बनाया जाना।	जी हां।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद महाराजगंज के जिला चिकित्सालय परिसर में पोस्टमार्टम हाउस निर्मित हो चुका है और दि0 1-12-2011 से क्रियाशील है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा विभाग-4	
150/2006	22-11-06 : अतारां0-84 डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा- जिला महिला चिकित्सालय उरई में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक जयपाल सिंह राठौर की मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित पुत्र धीरेन्द्र सिंह राठौर की नियुक्ति पर कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री धीरेन्द्र सिंह राठौर को अवर वर्ग लिपिक अधिसंख्यक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा-8

21/2007	28-6-07 : नियम-56 श्री प्रमोद तिवारी- जनपद हापुड़ एवं मेरठ में जानवरों की हड्डी चर्बी एवं केमिकल से देशी घी बनाये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अपमिश्रित 04 नमूनों के लिये दोषी के विरुद्ध क्रमशः दि0 15-10-2007, 18-12-2007, 19-12-2007 व 6-2-2008 को मा0 न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के समक्ष वाद दायर कर दिये गये हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा-3

190/2007	17-7-07 : तारां0-3 श्री नरेश अग्रवाल- प्रदेश के जिला अस्पतालों में ग्रामीण अंचल के डाक्टरों की सम्बद्धता को समाप्त किया जाना।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 14 मई, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि डाक्टरों की संविदा पर नियुक्ति से सम्बन्धित पालिसी में परिवर्तन हुआ है। लेकिन बाद में वर्ष 2010 में 2007, 2011 में 197, 2012 में 1529 एवं सितम्बर, 2012 में 1314 चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति तैनाती प्रदान की जा चुकी है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि अवशेष 5543 रिक्त पदों पर प्रभावी पैरवी करके तैनाती कराई जाये।

1	2	3	4
		चिकित्सा अनुभाग-8	
202/2008	4-3-08 : अतारां0-28 श्री कृष्ण गोपाल पटेल, स0वि0स0- सरकारी नर्सों को जिन्होंने वर्ष 1999 तक सरकारी नर्सिंग कालेज से पाठ्य क्रम पूरा कर लिया और जो कला विषय से हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं को सरकारी नौकरी दिया जाना।	यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।	दि0 14 मई, 2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी को सेवाओं में ले लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चिकित्सा-5	
245/2010	10-8-2010 : अल्पसू0 तारां0- श्री श्यामदेव राय चौधरी- प्रदेश में गुटखा तथा पान मसाला आदि सेवन पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार।	नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उनके विभाग के बनने के बाद वर्ष 2013 से पान मसाला की बिक्री एवं निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। विद्यालय एवं चिकित्सालय के 100 गज के अन्दर पान मसाले की बिक्री प्रतिबन्धित किये जाने के लिये महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दि0 24-7-14 द्वारा अधिनियम, 2003 (COTPA) को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा-5

45/2011	15-2-2011 : तारां0-7 श्री कृष्ण गोपाल पटेल- प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, इन्सेफ्लाटिस तथा मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को रोकने की योजना।	जी हां।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश में उन सभी बीमारियों के बारे में विस्तृत कार्ययोजना है इसे अपडेट करते रहते हैं। यह मशीन एक्सरसाइज है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

चिकित्सा-5

45/2013	27-2-2013 : तारां0-1 डा0 धर्मपाल सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री सुनील कुमार सिंह एवं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)- प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए खतरे को रोके जाने हेतु त्वरित कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्य योजना जारी की गयी।	दि0 13-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौत की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-14	
675/2000	11-05-2000 : नियम-56 श्री अब्दुल कलाम- आमिया अरबिया स्कूल दरियाबाद संत कबीर नगर के प्रबन्धक श्री अतीकुर्रहमान को दिनांक 25-04-2000 को धारा 420/506 में जेल भेजे जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही।	जो भी उचित कार्यवाही होगी, करेंगे।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री अतीकुर्रहमान पर कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जा रही है। शासन स्तर से कार्यवाही हो गयी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
673/2001	14-05-2001 : अतारां0-94 श्री राम औतार शाक्य- कोतवाली भोगांव मैनपुरी के अ0सं0 286/96 के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 दिनांक 22-04-1998 पर नागरिक पुलिस द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	विवेचना की जा रही है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 10 लोगों के विरुद्ध जुर्म साबित होने पर मा0 न्यायालय मैनपुरी द्वारा दिनांक 01-02-2007 को श्री आनन्द को दोषमुक्त करते हुए शेष अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस)-04	
676/2001	14-05-2001 : अतारां0-105 श्री श्रीराम पाल- जनपद हमीरपुर में घटित अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की घटना के पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2001 के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही।	प्रयास किया जा रहा है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 06 नामजद अभियुक्तों में से विवेचना में तीन की नामजदगी गलत पायी गयी। बाकी तीन अभियुक्तों के खिलाफ मा0 न्यायालय, हमीरपुर में मुकदमा चल रहा है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)	
771/2001	15-05-2001 : नियम-56 मा0 सदस्य श्री विनोद मणि को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2005 से 2007 तक सुरक्षा व्यवस्था शासकीय व्यय पर दी गयी थी। इसके पश्चात् न तो मांग की गयी और न ही पैसा जमा कराया। इसलिए समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)	
773/2001	15-05-2001 : नियम-56 मा0 नेता विरोधी दल के परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मा0 नेता विरोधी दल की सुरक्षा के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया और पाया कि इस समय उनके और उनके परिवार को सुरक्षा सम्बन्धी खतरा नहीं है तथा उनके व उनके परिवार द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा की मांग नहीं की गयी। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-11	
969/2001	21-05-2001 : तारां0-03 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना- स्व0 श्री सी0पी0 पाठक, अपर जिला मजिस्ट्रेट की पत्नी को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में।	औचित्य पाया गया है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्रीमती रेनू पाठक पत्नी स्व0 श्री सी0पी0 पाठक, अपर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय) के पद पर कार्यरत हैं। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
973/2001	21-05-2001 : अतारां0-03 श्री राम औतार शाक्य- थाना बेवर में पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2001 के सम्बन्ध में अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अग्रेतर कार्यवाही।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी जिसे मा0 न्यायालय, सी0जे0एम0 मैनपुरी द्वारा दिनांक 27-05-2014 को स्वीकृत किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस) विभाग	
205/2008	04-03-2008 : नियम-56 श्रीमती सै0 शादाब फातिमा- श्रीमती सै0 शादाब फातिमा, स0वि0स0 के ऊपर 7 क्रिमिनल ला ऐक्ट की लगायी गयी धाराओं की जांच कराकर कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्रीमती शादाब फातिमा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर, जिसमें दिनांक 13-03-2008 को पारित आदेश द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, गाजियाबाद के समक्ष विचाराधीन वाद पर अग्रिम आदेशों तक कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस) विभाग	
218/2008	05-03-2008 : नियम-56 श्री ओम प्रकाश सिंह- कानपुर देहात में थाना रसूलाबाद के ग्राम भैसाया स्थित सिहरी नाले पर सैकड़ों गो-हत्या के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि लगभग 16 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये हैं। इनमें से कुछ ने मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है तथा कुछ को गिरफ्तार किया गया। आरोप-पत्र प्रेषित किये गये हैं। मामला मा0 न्यायालय, ए0सी0जे0एम0 प्रथम कानपुर देहात में विचाराधीन है। समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि इसके बाद भी इसका फालोअप होना चाहिये।
		गृह (पुलिस)-10	
225/2008	10-03-2008 : अतारांकित-06 श्री सुरेश कुमार खन्ना- उ0प्र0 पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए राज्य पुलिस आयोग की संस्तुतियों के मुख्य बिन्दुओं को लागू किया जाना।	सरकार विचार कर रही है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की गयी है। पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-05	
241/2010	09-08-2010 : अतारांकित-154 श्रीमती अरुणा तोमर- जिलाधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय में 31 मार्च, 2009 से 31 मार्च, 2010 मध्य अवशेष शस्त्र आवेदन पत्रों को समयबद्ध निस्तारित कराया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार सभी शस्त्र आवेदनों का निस्तारण हो चुका है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-01	
147/2012	18-06-2012 : तारांकित-02 श्री सुरेश कुमार खन्ना- पुलिस विभाग में मानक के अनुरूप स्वीकृत सब इन्सपेक्टर्स के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही प्रचलित है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि रैंकर्स विभागीय परीक्षा के 5389 पदों पर भर्ती अण्डर प्रॉसेस है। 40 हजार कांस्टेबुलों की भर्ती प्रक्रिया एडवांस स्टेज पर है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी अण्डर प्रॉसेस है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-08	
239/2012	26-11-2012 : अतारांकित-104 श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया- राज्य में कानूनी रूप से समारोहों में फायरिंग पर रोक होने के बाद भी समारोहों, जुलूसों आदि में हो रही खुले आम फायरिंग के रोकथाम हेतु ठोस कानून बनाने की मांग के सम्बन्ध में।	निर्गत किये गये हैं।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि समारोहों में फायरिंग रोकने के लिये डिटेल्ड शासनादेश जारी कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस)-12	
219/2013	16-09-2013 : अतारांकित-77 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जिला शाहजहांपुर के श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र उदय पाल सिंह निवासी ग्राम कुनिया मुसेला थाना मदनापुर के पुत्र के साथ घटित घटना पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रक्रियाधीन है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री अशोक कुमार सिंह के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 03 अगस्त, 2013 को विपक्षी श्री सोहन सिंह, थाना मदनापुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया गया एवं आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-04	
300/2013	09-12-2013 : अतारांकित-15 डा0 पूर्णमासी देहाती- जनपद लखनऊ के थाना गाजीपुर में अपराध सं0-543/07 में श्री प्रवीन पाठक सहित अन्य को फर्जी फसाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही करायी गयी है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री प्रवीन पाठक सहित अन्य के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाये गये जिसके लिये श्री नत्थू लाल हेड कान्सटेबुल एवं श्री राम समुझ तिवारी, कांस्टेबुल को परिनिन्दा प्रविष्टि दी गयी। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-01	
302/2013	09-12-2013 : अतारांकित-24 श्री मनीष असीजा- प्रदेश में वर्तमान में जनसंख्या एवं पुलिस बल का अनुपात मानक के अनुसार न होने के कारण पुलिस बल की तैनाती/नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	मानक के अनुरूप पुलिस बल उपलब्ध हो सकेगा।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 40 हजार कांस्टेबुलों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगले वर्ष की भर्ती के लिए अधियाचन भेज रखा है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-03	
05/2014	24-02-2014 : तारांकित-01 श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रदीप माथुर, श्री मो0 अयूब, श्री नीरज कुशवाहा मौर्या, डा0 अरुण कुमार- प्रदेश के कतिपय वर्षों में हुये साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।	आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये शासनादेश दिनांक 08-09-2013 द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने, शांति समितियों की बैठकें आयोजित करने, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च, पुलिस व्यवस्था का पिकेट सुनिश्चित किये जाने तथा सी0सी0टी0वी0/वीडियो कैमरा आदि से निगरानी के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह गोपन-2	
110/2014	30-06-2014 : तारांकित-01 डा0 धर्मपाल सिंह- प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिये ठोस कार्य योजना तैयार करने के सम्बन्ध में।	विचार करेंगे।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शासनादेश के माध्यम से ए0टी0एस0 का गठन किया गया है। उ0प्र0 की संवेदनशीलता तथा आवश्यकता के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण, अभिसूचना का एकत्रीकरण आतंकवादी ग्रुपों की मदद करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करना, की गतिविधियों का अनुश्रवण कर प्रभावी कार्यवाही करना आदि कार्य किये जाते हैं। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		उच्च शिक्षा	
1033/2001	22-05-2001 : अतारां0-72 श्री अजय कुमार पोइया- श्री किशोरी रमण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा के समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	आदेश प्राप्त किये जा रहे हैं।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि निदेशक, उच्च शिक्षा इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार किसी भी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का वेतन भुगतान शेष नहीं रह गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा	
302/2004	03-08-2004 : अतारां0-18 श्री रविन्द्र पुण्डीर- जनपद मथुरा में महाविद्यालयों के नियमों के विरुद्ध मान्यता देने के बारे में पूर्व विधायक कुशलपाल सिंह के शिकायती-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 8 महाविद्यालयों की मान्यता बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा दी गयी है और मान्यता के समय इसे सही पाया है। तीन अन्य महाविद्यालयों क्रमशः आई0ओ0पी0 वृन्दावन, ला कालेज, मथुरा, ए0पी0एस0 कालेज, बाजना और श्री हरीदास इंस्टीट्यूट आफ लीगल स्टडीज एवं रिसर्च, एन0एच0-2, मथुरा के सारे मानक पूरे हैं और कोई अनियमितता नहीं है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		उच्च शिक्षा-5	
103/2009 218/2010 62/2011	04-08-2009 : अतारां0-46 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- 15-02-2010 : नियम-51 डा0 अजय तोमर- 15-02-2011 : अतारां0-109 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- राजकीय डिग्री कालेज मंगरौरा प्रतापगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना।	जी हां।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा, प्रतापगढ़ में रिक्त पदों के लिए दिनांक 03-02-2011 एवं 11-10-2012 को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किया गया है। इस आश्वासन की प्रकृति व आ0सं0 218/2010 तथा 62/2011 एक ही प्रकार का है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा विभाग	
203/2010	11-02-2010 : नियम-51 डा0 अजय तोमर- प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित पदों पर पूर्णकालिक शिक्षकों को दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पूर्णकालिक शिक्षकों के भुगतान की कार्यवाही सामान्यतः पूर्ण की जा चुकी है। कुछ नये प्रकरण पर भी कार्यवाही की जा रही है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

उच्च शिक्षा-5

211/2010	16-02-2010 : अतारां0-10 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- राजकीय डिग्री कालेज मंगरौरा एवं ढिढुयी प्रतापगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना।	तैनाती की जा सकेगी।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय डिग्री कालेज मंगरौरा एवं ढिढुयी प्रतापगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पदों के लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

उच्च शिक्षा-5

55/2011	15-02-2011 : अतारां0-54 श्री आरिफ अनवर हाशमी- फैजाबाद जनपद में उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।	जी हां।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस तरह के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय स्थापित किये जाने के प्रस्ताव है जिसमें भारत सरकार इस अभियान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं किन्तु कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4

उच्च शिक्षा-1

306/2012	29-11-2012 : अतारां0-104 श्री राम चन्द्र यादव- लखनऊ विश्वविद्यालय की गिरती हुई प्रतिष्ठा को सुधारने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी।	शासन के समक्ष परीक्षणाधीन है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रकरण मा0 कुलाधिपति, राज्यपाल महोदय के कार्यालय में विचाराधीन है। अब इसमें निर्णय उच्च स्तर पर ही होना है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

उच्च शिक्षा-5

317/2012	29-11-2012 : अतारां0-142 श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप- प्रदेश के जनपदों में सरकार द्वारा महाविद्यालयों/महिला महाविद्यालय खोलने की वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृति तथा निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग।	स्थापना की जा रही है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित 36 जनपदों में से 26 जनपदों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना में सम्मिलित करते हुए राजकीय विश्वविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की जा रही है। शेष दस जनपदों में से चार जनपदों में राज्य सेक्टर से राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। शेष 6 जनपदों में फिलहाल राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		उच्च शिक्षा-1	
262/2013	19-09-2013 : तारां0-01 श्री उपेन्द्र तिवारी- प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण विचाराधीन है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हेतु उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन हो गया है तथा भर्ती की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। विश्वविद्यालयों में भर्ती की कार्यवाही विश्वविद्यालयों द्वारा की जाती है जिसे कराया जा रहा है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा-5	
265/2013	19-09-2013 : अतारां0-39 साध्वी निरंजन ज्योति- जनपद हमीरपुर स्थित राजकीय महिला विद्यालय में स्वीकृत विषयों के अध्यापक मानक के अनुरूप तैनात न होने के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में।	संस्तुति प्राप्त होने पर।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय महिला विद्यालय जनपद हमीरपुर में रिक्त पदों को भर दिया गया था तथा आज की तारीख में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा-4	
274/2013	19-09-2013 : अतारां0-142 श्री रवीन्द्र जायसवाल- वाराणसी के काशी विद्यापीठ के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 06-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विधि संकाय भवन बनकर तैयार हो गया है तथा दिनांक 23-07-2014 को उक्त भवन का उद्घाटन सम्पन्न हो चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		औद्योगिक विकास	
703/86	21-03-86 : अतारां0-17 श्री राम नरेश यादव- चर्मनगर कानपुर के निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा न दिया जाना।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि समस्त काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप कर दिया।
		औद्योगिक विकास-8	
171/98	23-06-98 : अतारां0-83 श्री हरदेव सिंह- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायतों की जांच।	आख्या प्रतीक्षित है।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि निदेशक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही थी और पांच शिकायतें थीं। निदेशक से विभागीय जांच में स्पष्टीकरण मांगकर विचारोपरान्त विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर प्रकरण को निक्षेपित कर दिया गया। पांच शिकायतों में निलम्बन, निन्दात्मक प्रविष्टि तथा कठोर चेतावनी दी गयी और विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर प्रकरण को निक्षेपित कर दिया गया। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

भू-तत्व एवं खनिकर्म (औद्योगिक विकास-2)

776/2000	16-05-2000 : अतारां0-116 श्री अफजाल अहमद- राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ में समूह ''ग'' की भर्ती हेतु दिनांक 13-12-98 को आयोजित परीक्षा एवं टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण विचाराधीन है।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-07-2001 के निर्देशानुसार उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों को समायोजन का आदेश दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 13-12-98 के विज्ञापित पदों पर आयोजित परीक्षा के आधार पर किसी की नियुक्ति नहीं की गयी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

भू-तत्व एवं खनिकर्म (औद्योगिक विकास-2)

220/2001	01-05-2001 : अतारां0-19 श्री अजय कुमार पोइया- स्व0 श्री राजकुमार श्रीवास्तव ड्राफ्टमैन के उत्तराधिकारी को उनके देयों के भुगतान।	विचाराधीन है।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अभी तक कोई उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा इनके परिवार में उत्तराधिकार पर डिस्प्यूट है। मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		औद्योगिक विकास	
1314/2001	29-05-2001 : बजट भाषण एक्सप्रेस-वे का निर्माण तथा 5 नगरों में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी वार्ड की स्थापना के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जाएगी।	
		औद्योगिक विकास-2	
505/2004	19-11-2004 : अतारां0-58 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाना।	प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वेतन विसंगति के निराकरण के लिये प्रकरण को वित्त विभाग में प्रस्तुत किया गया था लेकिन वित्त विभाग ने किसी पद के उच्चीकरण अथवा वेतन पुनरीक्षण का औचित्य नहीं पाया। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		औद्योगिक विकास-2 (लोक निर्माण विभाग से 26-07-2011)	
51/2008	19-02-2008 : बजट श्री प्रदीप माथुर- गंगा एक्सप्रेस हाई-वे में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का उचित मुआवजा दिया जाना।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 99 प्रतिशत लोगों ने मुआवजा ले लिया है जिन्होंने नहीं लिया है उसमें कुछ विवाद है लेकिन रेट का विवाद नहीं है क्योंकि रेट सहमति के आधार पर तय हुए थे। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

औद्योगिक विकास-6

04/2009	12-02-2009 : अतारां0-41 श्री इमरान मसूद- जनपद बस्ती में मै0 लक्ष्मी पालीमर्स प्रा0लि0 से ऋण वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी, बस्ती की आख्यानुसार लक्ष्मी पालीमर्स प्रा0 लि0 के 4 प्रवर्तकों में से तीन क्रमशः श्री आत्मा राम गुप्ता, श्री अखिलेश नारायण सिंह एवं श्री गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध कर दिया गया था। चौथी प्रवर्तक श्रीमती सुश्मिता गुप्ता की गिरफ्तारी महिला होने के कारण नियमानुसार नहीं हो सकी। प्रकरण मा0 न्यायालय में अभी लम्बित है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि पिकप का ऋण है इसको ब्याज सहित वसूल करें।

औद्योगिक विकास-1

163/2010	11-02-2010 : तारांकित-4 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों में पंचम वेतनमान की सुविधाएं देने के सम्बन्ध में।	प्राविधान है।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्राधिकरण में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान लागू कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

औद्योगिक विकास विभाग

157/2011	09-08-2011 : नियम-56 श्री सतीश महाना- जनपद कानपुर के कतिपय गांवों में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अधिकृत जमीन पर अवैध रूप से आवासीय कालोनी का निर्माण।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद कानपुर के कतिपय गांवों में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की लैंड पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		औद्योगिक विकास-6	
54/2012	07-06-2012 : तारांकित-1 श्री श्यामदेव राय चौधरी- वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में औद्योगीकरण के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 29-12-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो 2012 की औद्योगिक निवेश नीति है वह पूर्वांचल के लिए और बुन्देलखण्ड के लिए भी है इसमें इन्सेन्टिव दिया गया है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि निवेश नीति की एक पुस्तिका समिति को उपलब्ध करा दी जाय।
		औद्योगिक विकास-4	
32/2014	19-06-2014 : अतारां0-01 श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया- श्री सत्यपाल भट्टी, प्रबन्धक ग्रेड-1 की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नियुक्ति किये जाने विषयक।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 29-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री सत्य पाल भट्टी, प्रबन्धक ग्रेड-1 को कार्यहित में केवल प्रभार दिया गया है। शासन से पद की मांग की गयी है, मिल जाने पर ये नियमित हो जाएंगे। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		खेलकूद	
277/2010	12-08-2010 : तारांकित-12 श्री पूरन प्रकाश- जनपद लखनऊ के आलवेदर स्वीमिंग पूल स्प्रिंग बोर्ड लगवाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 28-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में स्थित स्वीमिंग पूल में मैक्सीफ्लैक्स स्प्रिंग डाइविंग बोर्ड मई, 2012 में लगा दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		युवा कल्याण	
178/2011	11-08-2011 : अतारांकित-181 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- प्रदेश के समस्त पी0आर0डी0 जवानों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने पर विचार।	जी हां।	दिनांक 28-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दिनांक 12 नवम्बर 2013 द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) के स्वयं सेवकों का दैनिक पारिश्रमिक रु0 126/- से बढ़ाकर रु0 160/- प्रतिदिन कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		खेलकूद विभाग	
8/2012	29-05-2012 : अतारां0-18 डा0 धर्मपाल सिंह- खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारियों के रिक्त पड़े पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही।	शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।	दिनांक 28-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि क्रीड़ाधिकारियों के 12 रिक्त पदों पर पदोन्नति करके उनकी तैनाती भी कर दी गयी है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		युवा कल्याण	
263/2012	27-11-2012 : अतारांकित-14 डा0 धर्मपाल सिंह- प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक पारिश्रमिक (ड्यूटी भत्ता) बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण विचाराधीन है।	दिनांक 28-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों का दैनिक पारिश्रमिक रु0 126/- से बढ़ाकर रु0 160/- कर दिया गया है। इस आश्वासन की प्रकृति व आ0सं0 178/2011 एक ही प्रकार का है। अतः समिति ने इस आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		आवास विभाग (नगर विकास-7)	
859/2000	20-10-2000 : अतारां0-70 श्री श्याम देव राय चौधरी- वाराणसी में मेलूपुर वार्ड के भदेनी मौजा के आराजी सं0 444 पर अवैध रूप से निर्मित काम्प्लेक्स की जांच।	निर्देश दिये गये हैं।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में यह आया है कि यह भूमि नजूल की नहीं है तथा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि नहीं है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास-3	
1440/2001	01-06-2001 : अतारां0-14 श्री अजय कुमार पोइया- प्रश्नगत भूमि को कानपुर योजना भाग-6 में की गई प्रस्तावित के अर्जन हेतु कार्यवाही।	प्रस्तावित है।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कानपुर योजना भाग-6 में भूमि अर्जन के लिए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है। जांच आख्या के आधार पर दोषी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास एवं शहरी नियोजन	
167/2006	04-12-2006 : नियम-51 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव- लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम आवासीय योजना से सम्बन्धित सम्पत्तियों की पत्रावली गायब होने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पत्रावली गायब होने के सम्बन्ध में सी0बी0आई0 जांच उपरान्त दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है परन्तु रिकवरी अभी नहीं हो पायी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

101/2010	08-02-2010 : नियम-56 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा घटिया तथा कमजोर आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि घटिया एवं कमजोर आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में हुई जांच में 5 अभियन्ता संलिप्त पाये गये। सभी संलिप्त अभियन्ताओं के खिलाफ शासन स्तर से कार्यवाही कर दी गयी है। श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव व श्री नरेश सिंह तोमर पर क्रमशः लगभग 9 हजार 557/- तथा लगभग 20 हजार की धनराशि के दंड निर्धारित हुए हैं। यह धनराशि उनकी पेंशन से कटाकर जमा करा दी जायेगी। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

आवास विभाग

72/2011	15-02-2011 : नियम-56 श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव- वाराणसी जनपद में काशी विद्यापीठ ब्लाक के कतिपय ग्राम के जमीन के अधिग्रहण में भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस योजना से सम्बन्धित कुल प्रभावित 1194 कृषकों में से 773 कृषकों को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु0 4506.69 लाख में से रु0 3441.83 लाख का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) वाराणसी द्वारा किया जा चुका है। बाकी की मुआवजे की धनराशि एस0एल0ओ0 खाते में जमा करा दी गयी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		आवास एवं शहरी नियोजन-3	
164/2011	10-08-2011 : अतारां0-72 श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल- 32 बी0एन0 रोड लालबाग लखनऊ स्थित आवासीय भवन राज अपार्टमेंट के पार्किंग स्थल बेसमेण्ट में किए गए अवैध निर्माण/अतिक्रमण को ध्वस्त कराना।	विचाराधीन है।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बेसमेण्ट में स्थित पार्किंग के कुछ भाग पर निर्माण है जिस पर वर्ष 2001 से ध्वस्तीकरण के विरुद्ध मा0 एडीशनल सिविल जज के यहां एक विचाराधीन है। चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास एवं शहरी नियोजन (लोक निर्माण)	
119/2012	13-06-2012 : अतारां0-73 श्री रविन्द्र भडाना- जनपद मेरठ में महायोजना 2021 में प्रस्तावित इनर रिंग रोड तथा आउटर रिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित है।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इनर रिंग रोड जिसकी लम्बाई 34 किमी0 है का निर्माण दो भागों में किये जाने की दृष्टि से प्रथम भाग में 2.20 किमी0 आवास एवं विकास परिषद तथा 1.9 किमी0 कुल 4.1 किमी0 में प्राधिकरण द्वारा अपने वित्तीय संसाधन से कराये जा रहे हैं। शेष भाग 12.40 किमी0 सड़क निर्माण की कार्यवाही चल रही है। आउटर रिंग रोड का मार्ग जिसकी लम्बाई 70 किमी0 है, वह एन0एच0आई0 का पार्ट है जिसका डायरेक्शन कन्सर्ड विभाग को कर देंगे। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

आवास एवं शहरी नियोजन

177/2012	20-06-2012 : अतारां0-79 श्री गुटियारी लाल दुवेश- प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2009-10 में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	आवंटन कर दिया गया है।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि निर्धारित लक्ष्य 42676 के सापेक्ष 42344 भवनों का निर्माण कराया गया है, जिसके सापेक्ष 37175 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो भवन आवंटन लायक होंगे उनको आवंटित कर दिया जायेगा। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

आवास एवं शहरी नियोजन-3

147/2013	13-03-2013 : अतारां0-58 श्री सन्त राम कुशवाहा- जनपद जालौन के उरई महायोजना में आबादी क्षेत्र के पार्क एवं क्रीड़ा क्षेत्र के सेक्टरों को आवासीय सेक्टर घोषित किये जाने विषयक।	प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ। यथाशीघ्र।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पुनरीक्षित उरई योजना 2006 हेतु कार्यवाही की जा रही है। मार्च-अप्रैल, 2015 की बोर्ड की बैठक में कम्प्लीट मास्टर प्लान एप्रूव हो गया। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		आवास एवं शहरी नियोजन-4	
253/2013	18-09-2013 : अतारां0-153 श्री गुटियारी लाल दुबेश- आगरा नगर में ताजमहल के पास 'मुगल की पुलिया' सकरी होने के कारण आवागमन की असुविधा होने के कारण पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।	नियमानुसार कार्य करा दिया जायेगा।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मुगल की पुलिया के चौड़ीकरण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य के लिए पथकर सलाहकार समिति की दिनांक 14-06-2013 को सम्पन्न बैठक में लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 212.00 लाख की धनराशि का चेक दिनांक 12-07-2013 के माध्यम से लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास एवं शहरी नियोजन-1	
25/2014	26-02-2014 : तारां0-05 श्री अनुग्रह नारायण सिंह- प्रदेश के कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कमजोर आय वर्ग के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु एल0आई0जी0 व ई0डब्ल्यू0एस0 हाउसिंग पालिसी का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		आवास एवं शहरी नियोजन-4	
29/2014	26-02-2014 : अतारां0-74 श्री अगयश राम सरन वर्मा- लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम कालोनी को नगर निगम लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नगर निगम ने 13 करोड़ 86 लाख मांगा है। वह उन्हें एल0डी0ए0 से दिला देंगे। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास एवं शहरी नियोजन-2	
84/2014	25-06-2014 : अतारां0-59 श्री बाला प्रसाद अवस्थी- जनपद लखीमपुर खीरी विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मा0 कांशीराम आवास योजना के चयनित पात्र अभ्यर्थियों को आवासों का आवंटन व कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।	कब्जा दे दिया जायेगा।	दिनांक 05-02-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 500 आवासों का निर्माण करते हुए चयनित 475 पात्र अभ्यर्थियों को आवास आवंटित करते हुए भौतिक कब्जा दे दिया गया है। 25 आवासों के आवंटी नहीं मिल रहे हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 73 विधान सभा (110)-13-07-2016-650 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।